मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014
ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष–0612–2215035
संचिका सं०:–ल०ज०सं०(पी०एम०जी०)– डिबार–438/2025 02 /पटना, दिनांकः–13/01/20

## आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा जिला के विभिन्न प्रखण्ड अन्तर्गत 18 अदद राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कार्य संवेदक विशाल इन्टरप्राइजेज, प्रो0–श्री विकास कुमार पाण्डेय, मोहनी मार्केट, सेकेंड फ्लोर, नियर राजकुमार होटल, एग्जीविशन रोड, पटना (निबंधन सं0–MWRD1224C2PR5296 Class-II) को आवंटित किया गया था, जिसका एकरारनामा सं0–01SBD/2023-24 के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 29.11.2023 एवं पूर्ण करने की तिथि 28.11.2024 निर्धारित थी। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर द्वारा अनेकों बार लिखित रूप से उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किये जाने एवं कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि की समाप्ति के बावजूद भी संवेदक द्वारा उक्त योजना का कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं लेने एवं विभागीय कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा के पत्रांक–871 दिनांक–02.07.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मुंगेर के पत्रांक–1645 दिनांक–09.07.2025 द्वारा संवेदक को डिबार करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक–2484 दिनां–16.07.2025 द्वारा संवेदक विशाल इन्टरप्राइजेज, प्रो0– श्री विकाश कुमार पाण्डेय को डिबार करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–773 दिनांक–07.08.2025 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (ख) के तहत संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसके अनुपालन में संवेदक द्वारा दिनांक–22.08.2025 को कारण पृच्छा का जबाव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा 12 नलकूपों का जीर्णोद्धार पूर्ण करा दिये जाने एवं शेष 06 नलकूपों पर ग्रामिणों द्वारा जमीन संबंधी विवाद का उल्लेख कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण के रूप में करते हुये डिवार की कार्रवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है। संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण का जबाव पर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–944 दिनांक–17.09.2025, पत्रांक–1086 दिनांक–22.10.2025, पत्रांक–1157 दिनांक–13.11.2025 एवं पत्रांक–1299 दिनांक–15.12.2025 द्वारा मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उनके पत्रांक–4246 दिनांक–29.12.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि " संवेदक श्री पाण्डेय द्वारा एक भी राजकीय नलकूप का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया गया है तथा श्री पाण्डेय का स्पष्टीकरण भी संतोषप्रद नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा आवंटित कार्यों में स–समय अभिरूचि नहीं ली जा रही है, जिस कारण राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कार्य नहीं कराये जाने के कारण संबंधित नलकूपों को अबतक क्रियाशील नहीं किया जा सका है। अतएव श्री पाण्डेय को डिवार किया जा सकता है।" मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः 18 अदद राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार कार्य एकरारनाम के अनुसार पूर्ण करने हेतु बार–बार निदेशित किये जाने एवं निर्धारित तिथि की समाप्ति के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सम्यक समीक्षोपरांत संवेदक विशाल इन्टरप्राइजेज, प्रो0–श्री विकास कुमार पाण्डेय मोहनी मार्केट, सेकेंड फ्लोर, नियर राजकुमार होटल, एग्जीवीशन रोड, पटना (निबंधन सं0–MWRD1224C2PR5296 Class-II) को डिबार करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार

ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (ii) के निहित प्रावधानों के आलोक में अगले आदेश तक निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/
**मुख्य अभियंता**
**(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना**

**पत्रांक–** **/पटना दिनांक–**

प्रतिलिपि–संवेदक विशाल इन्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री विकास कुमार पाण्डेय, मोहनी मार्केट, सेकेंड फ्लोर, नियर राजकुमार होटल, एग्जीवीशन रोड, पटना, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना, पिन कोड–800001 (निबंधन सं0–MWRD1224C2PR5296 Class-II) मो0 न0–7764950131, ई–मेल–vishal. enterprises@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
**मुख्य अभियंता**
**(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना**

पत्रांक– 80 /पटना, दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, ...../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, ...../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, .........एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

12/01/2026

**मुख्य अभियंता**
**(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना**

12/01/26